

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा क ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाग, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाग (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं गोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाग, आई. एफ. एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रव० सुबोध पारावान, 41, बौकु पासवान, अनुरूचित जाति	बुधनी देवी (पत्नी)	508 06.06.2026	ग्राम+पो०-गंगापुर वार्ड-09, थाना+प्र०-मुरलीगंज जिला-गधेपुरा 6203052703	100837 103012 3885	UBGB PUNBO MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
2	स्व० असरफी राम, 50, भागवत राग, अनुरूचित वर्ग	रिकी देवी (पत्नी)	684 29.07.2026	ग्राम-टोका लक्ष्मीनिया वार्ड-11, पो०-रूपौली जीवछपुर, प्र०+थाना-गम्हरिया, जिला-मधेपुरा 6370330925	100801 101000 0503	UBGB PUNBO MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
3	रव० श्यामल राम, 55, गहेश्वरी राग, अनुरूचित वर्ग	कुगिया देवी (पत्नी)	686 29.07.2026	ग्राम+पो०-कठौतिया वार्ड-02, थाना+प्र०-बिहारीगंज, जिला-गधेपुरा 8809730986	008610 390526	IPPB IPOS000 0001	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर गजदूर

कुल :- 1,50,000 / -

(एक लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं०-8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं०-3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

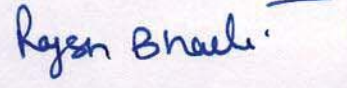
ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-32/2026(अंश)-1181 पटना, दिनांक :- ०१/०१/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का

अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,50,000/-** (एक लाख पचास हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


31/08/2024

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक